UPFR010046502017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट), फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–प्रथम–––––––––––एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 182/2017

उ०प्र० राज्य

प्रति

विमल पुत्र सर्वेश कुमार पाल,

निवासी– मढ़ैया (मकरन्दनगर वसा), थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद।

––––––––––––अभियुक्त

मु०अ०सं०– **380/2017**

धारा– **323, 504 भा.दं.सं. व**

धारा **3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट**

थाना– **कमालगंज**

जिला–**फर्रूखाबाद**

निर्णय

1. अभियुक्त **विमल** का मुकदमा अपराध संख्या 380/2017 धारा 323, 504 भा.दं.सं. व 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत विचारण विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 195/2017, दिनांकित 28.07.2017 पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2017 को प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरान्त विचारण सत्र वाद के रुप में प्रारम्भ हुआ।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा अनारकली ने दिनांक 25.06.2017 को लेखक प्रदीप कुमार पुत्र राधेश्याम द्वारा हस्तलिखित तहरीर प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क–1** श्रीमान् थानाध्यक्ष, थाना कमालगंज, फर्रूखाबाद को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरी पुत्री अनुपम आज घर से बकरी को घास काटने के लिये सड़क पार मढैयों की तरफ गयी थी। साथ में ज्योति पुत्री बडन्कू ब जूली पुत्री रामबरन के साथ गयी थी और जब मेरी बेटी मक्का के खेत में घास काटने चली तो मढ़ैया का रहने बाला विमल पुत्र सर्वेश कुमार गाली देकर बोला कि साली खेतों में नुकसान करने चली आती हो गाली देने से मना किया तो मारपीट करने लगा। मेरी बेटी किसी तरह घर लौटकर आयी यह घटना समय करीब 6 बजे शाम की है। श्रीमान जी मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.08.11 13:58:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर दिनांक 25.06.2017 को समय 20:10 बजे मुकदमा अपराध संख्या 380/2017, अन्तर्गत धारा 323, 504 भा.दं.सं., धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विमल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसका इन्द्राज थाने की जी.डी. की नकल रपट संख्या 35 समय 20:10 बजे दिनांक 25.06.2017 को किया गया है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इस मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार द्वारा ग्रहण की गयी। इस विवेचक के स्थानान्तरण के उपरान्त इस मामलें की विवेचना क्षेत्राधिकारी ओमकार सिंह द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। विवेचक क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार द्वारा घटनास्थल की नक्शा नजरी **प्रदर्श क – 4** तैयार किया गया तथा दौरान विवेचना साक्षियों का धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान, निरीक्षण घटनास्थल आदि के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त विमल के विरुद्ध धारा 323, 504 भा.दं.सं. व 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में आरोप पत्र संख्या 195/2017 दिनांक 28.07.2017 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2017 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5. अभियुक्त विमल वर्तमान मे जमानत पर है।

6. पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अभियुक्त विमल के विरुद्ध दिनांक 16.04.2019 को धारा 323, 504 भा.दं.सं. व 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा इन आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण किए जाने की माँग की गई।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए इस मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जो इस प्रकार है–

क्रम संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
पी.डब्लू – 1	अनारकली	वादिनीमुकदमा
पी.डब्लू – 2	अनुपम	वादिनी मुकदमा की पुत्री
पी.डब्लू – 3	कां.मोहर्रिर आनन्द मोहन	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी.डब्लू – 4	जूली	वादिनीमुकदमा के गांव का निवासिनी
पी.डब्लू – 5	क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार	प्रथम विवेचक

पी.डब्लू – 6	क्षेत्राधिकारी ओमकार सिंह	द्वितीय विवेचक

इन साक्षियों के अलावा अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई अन्य साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया।

8. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत इन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है जिसके आधार पर प्रदर्श डाले गए जो इस प्रकार है कि–

प्रदर्श	**विवरण**	**साक्षी**
प्रदर्श क–1	तहरीर वादिनीमुकदमा	पी.डब्लू. 1 अनारकली
प्रदर्श क–2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्लू. 3 कां.मोहर्रिर आनन्द मोहन
प्रदर्श क–3	जी.डी. मुकदमा कायमी	पी.डब्लू. 3 कां.मोहर्रिर आनन्द मोहन
प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी घटनास्थल	पी.डब्लू. 5 क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार
प्रदर्श क–5	आरोप पत्र	पी.डब्लू. 5 क्षेत्राधिकारी ओमकार सिंह

इसके अलावा अभियोजन साक्षी द्वारा अन्य किसी भी प्रपत्र को साबित नहीं किया गया है।

9. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षी **पी.डब्लू. 1 अनारकली** जो मामलें की वादिनी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै कठेरिया अनुसूचित जाति की हूँ। आज से लगभग पाँच वर्ष पहले की बात है। मेरी लड़की अनुपम बकरियों के साथ घास लेने मड़ियों की तरफ गयी थी। उसके साथ गांव की लड़किया ज्योति व जूली भी गयी थी। मेरी बेटी अनुपम मक्का के खेत में घास काट रही थी। तभी मड़ैया का रहने वाला विमल जो गड़रिया (पाल) जाति का है, यह आया तो यह मेरी लड़की से गाली देते हुए बोला साली कठेरियन क्यों खेतों में नुकसान करने चली आयी। मेरी लड़की ने गाली–गलौज से मना किया तो विमल ने मेरी लड़की को बेल्ट से मारा। मेरी लड़की बमुश्किल जान बचाकर घर आयी तथा घर आकर पुरी घटना मुझे बतायी। यह घटना शाम छः बजे की है। मैनें घटना की सूचना 100 नम्बर पर दी थी। पुलिस आयी थी फिर रिपोर्ट लिखाने थाना कमालगंज गयी थी। जहाँ मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी। घटना की तहरीर मैनें बोलकर लिखायी थी तथा सुनने के बाद अंगूठा लगाकर थाने में दी थी। पत्रावली में दाखिल का०सं० 5A को साक्षी ने देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैनें घटना के बाबत थाने में दी थी। जिस पर मेरा अंगूठा लगा है। जिसकी मै पुष्टि करती हूँ। जिस पर

प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना के दूसरे दिन पुलिस मौके पर आयी थी और मेरे साथ घटनास्थल पर गयी थी और वहाँ पर मेरी लड़की व मुझसे पूछताछ की थी।

10. **पी.डब्लू. 2 अनुपम,** जो वादिनीमुकदमा की पुत्री है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै कठेरिया अनुसूचित जाति की हूँ। मै कम पढ़ी लिखी हूँ। घटना दिनांक 25.06.2017 की शाम 6 बजे की बात है। उस समय मेरे यहाँ बकरिया थी। मै उनके लिए घास लेने गांव के पास के गांव मड़ैया में गयी थी। तब घास काट रहे थे तभी मड़ैया गांव का रहने वाला विमल पाल आया आते ही गन्दी–गन्दी माँ–बहन की गाली देते हुए बोला साली कठेरियन यहाँ घास क्यों काट रही है। मैनें गाली देने से मना किया तो मेरी चुनरी खींच दी और मेरे साथ मारपीट करने लगा। विमल पाल भी घटना वाली जगह पर बकरिया चरा रहा था। मै इससे अपनी जान बचाकर सीधे अपने घर भागी और पूरी घटना अपनी माँ को बतायी। मैनें पुलिस को 100 नं० पर सूचना दी। पुलिस आयी फिर थाने जाकर अपनी मम्मी के साथ मुकदमा दर्ज कराया था। सी.ओ. साहब ने घटना के सम्बन्ध में मेंरे बयान लिये थे।

11. **पी.डब्लू 3 कां. मोहर्रिर आनन्द मोहन,** जो चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25–06–2017 को थाना कमालगंज में कार्यालय में रात्रि कार्यलेख में मेरी ड्यूटी बतौर कान्सटेबल मोहर्रर थी। उसी रात करीब 20:10 बजे श्रीमती अनारकली पत्नी महेश कठेरिया निवासिनी ग्राम सुल्तानपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ मय अपने पति महेश कठेरिया के थाना कार्यालय उपस्थित होकर एक किता तहरीर बाबत पुत्री अनुपम के साथ गाली गौलाज व मारपीट के संबंध में खिलाफ विमल पुत्र सर्वेश कुमार पाल निवासी मढैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के दाखिल की थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 380/2017 धारा 323, 504 IPC व 3(1)X sc/st act पंजीकृत कर मुकदमे का खुलासा बहवाले रपट नम्बर 35 समय 20:10 बजे कराया गया था। मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी.डी. कायमी कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर दर्ज कराया गया था। नकल एफ.आई.आर. व नकल रपट मौजूद पत्रावली है जिसे मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है। आज पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 4A/1 लगायत 4A/2 चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. कायमी प्रपत्र कागज संख्या 6B/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह दोनों प्रपत्र मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर टाइप कराये गये थे जिन दोनों की मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर क्रमशः **प्रदर्श क–2, क–3** डाले गये। इस कार्यवाही के संबंध में विवेचक ने मेरे ब्यान लिये।

12. **पी.डब्लू. 4 जूली,** जो वादिनीमुकदमा के गांव की निवासिनी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मै जाटव जाति की हूँ। मै पढ़ी लिखी नहीं हूँ और अंगूठा लगाती हूँ। अभियुक्त

विमल मेरे गांव का नहीं है। यह मेरे गांव से लगे हुए गांव मड़ैया का है। विमल किस जाति का है मुझे नहीं मालूम। ज्योति मेरे गांव की है। ज्योति मेरे घर से 2–3 घर छोड़कर रहती है। ज्योति मेरे चाचा की लड़की है एवं मेरी बहन लगती है। घटना आज से कितने वर्ष पहले की है, मुझे ध्यान नहीं है। मै ज्योति के साथ घास काटने नहीं गयी थी। ज्योती के साथ विमल ने मारपीट की थी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। जिस दिन ज्योति के साथ मारपीट हुई थी, उस दिन मै ज्योति के साथ नहीं थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी, न ही मेरे बयान लिये थे।

13. **पी.डब्लू. 5 क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार,** जो मामलें का प्रथम विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 26–06–2017 को मैं क्षेत्राधिकारी अमृतपुर के पद पर तैनात था। उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या 380/2017 धारा 323, 504 IPC व 3(1)(X) Sc/St Act बनाम विमल की विवेचना ग्रहण की थी। उसी दिन सी.डी. न० 1 नकल तहरीर, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, आनन्द मोहन सी.डी. में अंकित किये थे। दिनांक 30–06–2017 सी.डी. न० 2 बयान वादिनी श्रीमती अनारकली, बयान पीड़िता अनुपम, बयान गवाह कुमारी ज्योती, बयान गवाह एफ.आई.आर., बयान गवाह कुमारी जूली, वादी की निशानदेही पर मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया और सी.डी. में अंकित किया। तत्पश्चात अभियुक्त के गांव ग्राम मडैया आकर अभियुक्त को नोटिस दिया और अभियुक्त द्वारा जुर्म से इंकार किया। सी.डी. में अंकित किया। अपनी सफाई न्यायालय में देंगे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 7A नक्शा नजरी है जो वादी की निशानदेही पर तैयार किया गया। नक्शा नजरी मेरे बोलने पर मेरे पेशकार द्वारा तैयार किया गया जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पहचान पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–4** डाला गया। मेरा स्थानान्तरण होने के कारण आगे की विवेचना अन्य विवेचक द्वारा की गई थी।

14. **पी.डब्लू. 6 क्षेत्राधिकारी ओमकार सिंह,** जो मामलें का द्वितीय विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मु०अ०सं० 380/2017 धारा अतर्गत 323, 504 IPC व 3(1)(X) SC St ACT की विवेचना मुझसे पूर्व, पूर्व विवेचक देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी अमृतपुर द्वारा की गई थी। मैंने दिनांक 28.07.2017 को पूर्व विवेचक द्वारा कृत कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्य का अवलोकन कर पर्चा नं 3 किता किया था। अभियुक्त विमल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र सं. A–195/28.07.2017 धारा 323, 504 IPC व 3(1)(X) SC St ACT में न्यायालय प्रेषित किया था। पत्रावली में शामिल कागज सं. 3A/1 लगायत 3A/2 वही आरोप पत्र है जो मैंने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोल कर टंकित कराकर अपने हस्ताक्षर कर न्यायालय प्रेषित किया था। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

15. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का दिनांक 17.07.2026 को धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया। **अभियुक्त विमल** ने अभियोजन कथानक के विषय में बताया है कि पूर्णतया झूठ है। मनगढ़न्त कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है। पी.डब्लू. 1 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि कथित घटना पूर्णतया असत्य है। मैनें अनुपम को न तो गाली गलौज किया और न ही बेल्टों से मारा पीटा। पी.डब्लू. 2 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि पूर्णतया झूठ है। मैनें अनुपम को कभी गाली–गलौज नहीं किया। कथित घटना मनगढ़न्त है। पी.डब्लू. 3 एवं पी.डब्लू. 6 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। पी.डब्लू. 4 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि जूली ने जो बयान दिनांक 16.05.2025 को अदालत में दिये है, वह सही है। पी.डब्लू. 5 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये है। अभियुक्त ने अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि अनुपम की माँ अनारकली मुझसे रंजिश मानती थी इसलिए उसने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखायी है। मुकदमा रंजिश से चला।

16. उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरान्त यह पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गयी।

17. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

18. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा बहस दौरान यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 25.06.2017 को समय 18.00 बजे वादिनीमुकदमा अनारकली की पुत्री अनुपम घास काटने के लिए ज्योति, जूली के साथ मड़ैया की तरफ गयी थी। जैसे ही वह घास काटने चली अभियुक्त ने अनुपम के साथ जातिसूचक गाली–गलौज की व मारपीट की। साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के है तथा साक्ष्य दर्ज कराने में विलम्ब हो जाने के कारण में उसके साक्ष्य में थोड़ा बहुत विरोधाभास है, परन्तु अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन पूर्णतया साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया गया है। रंजिशन इस मामलें में झूठा फंसाया गया है। वादिनीमुकदमा द्वारा अपनी जाति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, फिर बिना किसी ठोस साक्ष्य के प्रथम सूचना रिपोर्ट एस.सी./एस.टी. एक्ट में दर्ज की गयी है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना तहरीर

लेखक का भी कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है और न ही उसे इस मामलें में दौरान परीक्षण परीक्षित ही कराया गया है। दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में घोर विरोधाभाष है। इस तरह से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्यों से अभियोजन कथानक पूर्णतया साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित धाराओं के अन्तर्गत सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य है।

20. प्रस्तुत मामलें में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि **क्या अभियुक्त विमल ने दिनांक 25.06.2017 को समय लगभग 18.00 बजे वादिनीमुकदमा की पुत्री, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्या है, के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक गाली–गलौज कर अपमानित किया ?**

पी.डब्लू. 1 अनारकली जो मामलें की वादिनी मुकदमा है, द्वारा कथन किया गया है कि मै कठेरिया अनुसूचित जाति की हूँ। आज से लगभग पाँच वर्ष पहले की बात है। मेरी लड़की अनुपम बकरियों के साथ घास लेने मड़ियों की तरफ गयी थी। उसके साथ गांव की लड़किया ज्योति व जूली भी गयी थी। मेरी बेटी अनुपम मक्का के खेत में घास काट रही थी। तभी मड़ैया का रहने वाला विमल जो गड़रिया (पाल) जाति का है, यह आया तो यह मेरी लड़की से गाली देते हुए बोला साली कठेरियन क्यों खेतों में नुकसान करने चली आयी। मेरी लड़की ने गाली–गलौज से मना किया तो विमल ने मेरी लड़की को बेल्ट से मारा। मेरी लड़की बमुश्किल जान बचाकर घर आयी तथा घर आकर पुरी घटना मुझे बतायी। यह घटना शाम छः बजे की है। मैनें घटना की सूचना 100 नम्बर पर दी थी। पुलिस आयी थी फिर रिपोर्ट लिखाने थाना कमालगंज गयी थी। जहाँ मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी। घटना की तहरीर मैनें बोलकर लिखायी थी तथा सुनने के बाद अंगूठा लगाकर थाने में दी थी।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि जिस समय घटना हुई थी, उस समय मै मौजूद नहीं थी। घटना मैनें अपनी आंखों से नहीं देखी है। घटना के बारे में मुझे मेरी लड़की अनुपम ने बताया था। अनुपम ने मुझे बताया था कि मुझे बेल्टों से मारा था। मुझे बेल्टों से विमल ने मारा था। मेरी लड़की को विमल को किसके सामने मारा, यह नहीं बता सकती। मेरी लड़की अनुपम के चोटें पैरों में तथा पीठ में थी। चोटों का डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया था। मै थाने में शाम को रिपोर्ट लिखाने गयी थी। समय ध्यान नहीं है। मेरी बेटी थाने में साथ गयी थी। रिपोर्ट बिटिया ने लिखायी थी। मेरी बेटी अनुपम पढ़ी–लिखी है। रिपोर्ट पर मेरा अंगूठा लगा था। मुझे नहीं मालूम कि मक्का का खेत किसका था। विमल का नहीं था। मक्का के खेत वाले में गाली–गलौज नहीं किया था।

इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वह घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित नहीं थी। उसे घटना के बारे में जो भी जानकारी है वह उसकी लड़की अनुपम के बताने के आधार पर है। इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के समय उसकी लड़की को आयी चोटों के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया था। इस साक्षी को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि घटनास्थल मक्का के खेत का मालिक कौन है ? इस साक्षी के अनुसार खेत मालिक द्वारा उसकी लड़की से कोई गाली–गलौज नहीं किया गया था। इस साक्षी के अनुसार उसके द्वारा अपनी पुत्री अनुपम के बताने के आधार पर ही घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी।

चूंकि यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी और इसके द्वारा घटना को नहीं देखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. **पी.डब्लू. 2 अनुपम,** जो वादिनीमुकदमा की पुत्री है, द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक 25.06.2017 की शाम 6 बजे की बात है। उस समय मेरे यहाँ बकरिया थी। मै उनके लिए घास लेने गांव के पास के गांव मड़ैया में गयी थी। जब घास काट रहे थे तभी मड़ैया गांव का रहने वाला विमल पाल आया आते ही गन्दी–गन्दी माँ–बहन की गाली देते हुए बोला साली कठेरियन यहाँ घास क्यों काट रही है। मैनें गाली देने से मना किया तो मेरी चुनरी खींच दी और मेरे साथ मारपीट करने लगा। विमल पाल भी घटना वाली जगह पर बकरिया चरा रहा था। मै इससे अपनी जान बचाकर सीधे अपने घर भागी और पूरी घटना अपनी माँ को बतायी। मैनें पुलिस को 100 नं० पर सूचना दी। पुलिस आयी फिर थाने जाकर अपनी मम्मी के साथ मुकदमा दर्ज कराया था।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि विमल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मै खेतों से घास लेने गयी थी। वह विमल का खेत नहीं था। घटना गर्मियों के समय की है। जाड़े का मौसम नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट मैनें देखी। चोटें मेरे शरीर में आयी थी। उसकी मेडिकल जाँच नहीं करायी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जातिसूचक गाली नहीं दी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट छः बजे शाम को लिखी गयी। थाना कमालगंज गये थे। इन्होनें मुझे लकड़ी का डण्डा था, उससे मारा था। चोटें मेरे पीठ व हाथों में आयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर मैनें नहीं लिखी थी, किसने लिखी थी, यह भी नहीं पता। विमल के ऊपर इससे पहले मेरा कोई मुकदमा नहीं चला। विमल ने इससे पहले कभी मुझे परेशान नहीं किया। जब घटना हुई तब मै अकेली थी, मेरी माँ नहीं थी। जिस खेत पर घटना हुई, उसकी मै चौहद्दी नहीं बता सकती हूँ। खेत किसका है, उसके स्वामी का नाम भी मुझे नहीं पता। आगे कथन किया कि रिपोर्ट पर मैनें दस्तखत किये थे, मुझे याद नहीं मम्मी ने किये थे। मुझे रिपोर्ट पढ़कर भी नहीं सुनायी गयी थी।

यह साक्षी इस मामलें की चुटहिल साक्षी है, जिसका साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस साक्षी के अनुसार दिनांक 25.06.2017 को शाम छः बजे जब वह घास काट रही थी, तब अभियुक्त विमल द्वारा उसे गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी तथा उसे मारा गया, किन्तु इस साक्षी द्वारा अपने बयान में न तो उन गालियों का उल्लेख किया गया है, जो अभियुक्त द्वारा उसे दी गयी और न ही किसी जातिसूचक शब्द का उल्लेख किया गया, जिन शब्दों से अभियुक्त द्वारा उसे अपमानित किया गया। इस साक्षी के अनुसार वह घटना के समय अकेली थी, उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि उसे डण्डों से मारा गया था और उसके पीठ व हाथों में चोटें आयी थी, किन्तु इस साक्षी का कोई भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है।

पीड़िता के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि इस घटना से पूर्व अभियुक्त विमल और उसके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद व रंजिश विद्यमान नहीं थी और न ही अभियुक्त द्वारा इस घटना से पूर्व उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट या घटना ही कारित की गयी थी।

पीड़िता की माँ पी.डब्लू. 1 अनारकली द्वारा कथन किया गया है कि पीड़िता को बेल्ट से मारा गया था, जबकि पीड़िता द्वारा अपनी जिरह के दौरान डण्डे से मारने का कथन किया गया है, जिस कारण दोनों साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है।

पी.डब्लू. 1 अनारकली द्वारा कथन किया गया कि उसकी लड़की पढ़ी–लिखी है और उसके द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी और उसके द्वारा केवल अपना अंगूठा लगाया गया था, किन्तु पी.डब्लू. 2 पीड़िता द्वारा कथन किया गया है कि वह कम पढ़ी–लिखी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर उसने नहीं लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गयी थी, उसे नहीं मालूम है। इस प्रकार पी.डब्लू. 1 एवं पी.डब्लू. 2 के बयानों में घटना के सम्बन्ध में गम्भीर विरोधाभास प्रकट होता है।

अतः ऐसी स्थिति में पी.डब्लू. 2 के बयान घटना के सम्बन्ध में विश्वसनीय नहीं माने जा सकते है। उसकी चोटों का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र कहासुनी की घटना को बढ़ा–चढ़ाकर इस मामलें में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

22. **पी.डब्लू. 4 जूली,** जो वादिनीमुकदमा के गांव की निवासिनी है, द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त विमल मेरे गांव का नहीं है। यह मेरे गांव से लगे हुए गांव मड़ैया का है। ज्योति मेरे गांव की है। ज्योति मेरे घर से 2–3 घर छोड़कर रहती है। ज्योति मेरे चाचा की लड़की है एवं मेरी बहन लगती है। घटना आज से कितने वर्ष पहले की है, मुझे ध्यान नहीं है। मै ज्योति के साथ घास काटने नहीं गयी थी। ज्योती के साथ विमल ने मारपीट की थी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। जिस दिन ज्योति के साथ मारपीट हुई थी, उस दिन मै ज्योति के साथ नहीं थी। पुलिस

ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी, न ही मेरे बयान लिये थे।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि मैनें किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं देखी, मै घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। मेरा नाम गवाही मे कैसे लिखा दिया, मुझे नहीं मालूम। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।

चूंकि इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

23. **पी.डब्लू. 3 उ.नि. आनन्द मोहन** द्वारा दिनांक 25.06.2017 को धाना कमालगंज में 20.10 बजे श्रीमती अनारकली पत्नी महेश कठेरिया की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 380/2017, धारा 323,504 भा.दं.सं. व 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया और मामलें का खुलासा बहवाले रपट नम्बर 35 समय 20.10 बजे कराया गया। इस साक्षी द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व मुकदमा कायमी जी.डी. को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि अनारकली 20.10 बजे थाने आयी थी, उनके साथ उनके पति भी थाने आये थे। इसके अलावा अनारकली के साथ कोई नहीं था। वादिनी ने लिखित तहरीर देकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वह थाने में आने से पहले तहरीर लिखकर लायी थी। तहरीर किसी के द्वारा लिखायी गयी थी, जिसने तहरीर लिखी थी, उसका नाम प्रदीप था। तहरीर पर अनारकली का निशानी अंगूठा था।

आगे कथन किया गया कि वादिनी मुकदमा थाना हाजा पर आयी और तुरन्त ही उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। वादिनीमुकदमा के प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा जातिसूचक गालियां देने का कोई जिक्र नहीं है। अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को गाली–गलौज करते हुए खेतों में नुक्सान करने चली आती है, बताया, लेकिन कितने का नुक्सान हुआ या कितने रूपये का नुक्सान हुआ यह नहीं बताया। वादिनीमुकदमा ने अपनी तहरीर में यह कहीं नहीं लिखा है कि अभियुक्त द्वारा किन–किन गालियों के शब्दों का प्रयोग किया गया था। वादिनी मुकदमा की पुत्री अनुपम जिसके साथ मारपीट होना बताया गया है, उसके साथ थाने पर नहीं आयी थी इसलिए उसका कोई डाक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। मैनें अनुपम को कभी नहीं देखा।

इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट होता है कि वादिनीमुकदमा अनारकली के साथ चुटहैल अनुपम (पुत्री) थाने पर नहीं आयी थी, जिस कारण उसकी चोटों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था। इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि तहरीर में किसी प्रकार के जातिसूचक शब्द या गालियों का उल्लेख नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी पी.डब्लू. 1 व पी.डब्लू. 2 के बयानों विरोधाभासी साबित होते है, जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया था कि चुटहैल अनुपम थाने अपनी माँ के साथ रिपोर्ट लिखाने गयी थी।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

24. **पी.डब्लू. 5 क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार** द्वारा विवेचना के दौरान वादिनी, पीड़िता अनुपम, ज्योति, जूली तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक के बयान अंकित किये गये तथा वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 तैयार किया गया।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि मै घटनास्थल पर वादिनी को उसके घर से लेकर गया था। वादिनी के साथ पीड़िता थी। मैनें वादिनी से उसका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा और न विवेचना में शामिल किया था। मैनें पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया था। आगे कथन किया कि पीड़िता अनुपम, गवाह जूली तथा ज्योति के धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में मारपीट व गाली–गलौज करने की बात आयी है तथा उनके बयानों में कहीं जातिसूचक गालियां देना अंकित नहीं है।

यह साक्षी इस मामलें का प्रथम विवेचक है, जिसके द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अंकित किये गये तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी गवाह द्वारा जातिसूचक गालियों का उल्लेख अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में नहीं किया गया है। इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि विवेचना के दौरान चुटहैल अनुपम का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू. 6 क्षेत्राधिकारी ओमकार सिंह, जो इस मामलें के द्वितीय विवेचक है, द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323,504 भा.दं.सं. व 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र प्रदर्श क–5 प्रेषित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि पूर्व क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर ही मैनें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था, मैनें स्वयं कोई विवेचना नहीं की थी। मैनें अनारकली, पीड़िता अनुपम व जूली के बयान पढ़े है। उनके बयानों में जातिसूचक गालियां लिखा है या नही, यह पूर्व विवेचक ही बता पायेगे। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैनें पूर्व विवेचक द्वारा अभियोजन साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया तो मुझे लगा कि धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध बनता है तो मैनें धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट लगा दिया।

इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा इस मामलें में कोई विवेचना नहीं की गयी है, बल्कि पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर ही इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अतः इस साक्षी के बयानों का भी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है।

25. इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू. 1 एवं पी.डब्लू. 2 के बयानों में घटना के सम्बन्ध में विरोधाभास है। पी.डब्लू. 1 अनारकली घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी, जिसके द्वारा घटना को नहीं देखा गया है। पी.डब्लू. 4 जूली द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर उपस्थित महत्वपूर्ण साक्षी ज्योति को अभियोजन द्वारा परिक्षित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त चुटहैल अनुपम का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर में किसी जातिसूचक शब्द का उल्लेख नहीं है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर में केवल मारपीट किये जाने का कथन किया गया है, जबकि पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी जिरह के दौरान बेल्ट से एवं पी.डब्लू. 2 द्वारा अपनी जिरह के दौरान अभियुक्त द्वारा डण्डे से मारने का कथन किया गया है। जिस कारण अभियोजन कथानक पर गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न होता है। पी.डब्लू. 5 प्रथम विवेचक के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा इस मामलें में अभियुक्त के विरूद्ध एस.सी./एस.टी. एक्ट क्यों लगाया गया ? और पी.डब्लू. 6 द्वितीय विवेचक के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा के अन्तर्गत क्यों आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ?

अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह अपने मामलें को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत करे, किन्तु इस मामलें में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन अपने मामलें को सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है।

26. इस तरह से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त विमल पर लगाए गए भा.दं.सं. की धारा 323, 504 व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार अभियुक्त विमल भा.दं.सं. की धारा 323, 504 व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों के अन्तर्गत दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विमल को विशेष सत्र परीक्षण संख्या **182/2017**, थाना **कमालगंज**, जिला **फर्रुखाबाद** के मामले में भा.दं.सं. की धारा 323, 504 व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों में सन्देह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त विमल जमानत पर है। उसके बंधपत्र को निरस्त कर उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त विमल धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 50,000/– (पचास हजार रूपए) की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का एक निजी बंधपत्र एक सप्ताह के भीतर दाखिल करें।

दिनांकः– **11.08.2026**

(**तरूण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 11.08.2026

(**तरूण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।